भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways,Government of India)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई – मेरठ
Project Implementation Unit, Meerut
ए–1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईटस, कंकरखेड़ा, एन.एच.–58, मेरठ–250001
A-1,Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerkhera, NH-58, Meerut-250001
टेलीफोन/Telephone: 0121-2631228 ई–मेल/e-mail: meerut@nhai.org

सत्यमेव जयते

भा०रा०रा०प्रा० / प०क्रि०ई०–मेरठ / 2022 / 66012 / डी०– 24797 दिनांकः 30.06.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

विषयः–**Construction of Najibabad-Kotdwar Section of NH-119 from 2-lane to 2-lane with paved shoulder under from existing Chainage 120+900 to 138+635 (Design Chainage 120+900 to 137+600) under Bharatmala Pariyojana Bijnor, state of Uttar Pradesh .**
(Online Proposal No.FP/UP/ROAD/143597/2021)

संदर्भः– **आपका पत्रांक संख्या–2993 / 14–1 बिजनौर, दिनांक 10.06.2022**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने संरक्षित वन क्षेत्र मे से गुजरने वाले पुराने मार्ग का केवल सुदृढ़ीकरण किये जाने के लिए लिखा गया है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराना हैः–

1. राष्ट्रीय राजमार्ग–119 के नजीबाबाद–कोटद्वार खण्ड वर्तमान में 2–लेन (7.00 मी० चौड़ाई) है एवं इसे 2–लेन with paved shoulder के साथ दोनों तरफ मात्र 1.5–1.5 मीटर चौड़ा (10.00 मी० कुल चौड़ाई) बनाया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त मार्ग पर कोई डिवाईडर नहीं बनाया जा रहा है जिससे वन्य जीवों को आवागमन में कोई समस्या उत्पन्न नही होगी।
3. इस परियोजना को भा०रा०रा०प्रा०, मुख्यालय द्वारा 20.05.2021 मे स्वीकृत किया गया है।
4. परियोजना हेतु 27.33 है० संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन विभाग, लखनऊ उ०प्र० सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य वन विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे है।
5. इस परियोजना के लिए निविदा भा०रा०रा०प्रा०, मुख्यालय स्तर पर आमन्त्रित की जा चुकी है एवं मै० अजय प्रकाश एसोशिएट्स को कार्य प्रारम्भ के लिये अनुमति पत्र (**Letter of Acceptance**) दिनांक 23.03.2022 को जारी किया जा चुका है।
6. **उल्लेखनीय यह भी है कि इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमन्त्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.12.2021 को रखी जा चुकी है एवं परियोजना की प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा समय–समय पर की जा रही है।**
7. वन विभाग द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सुझाये गये Mitigation Measures का भा०रा०रा०प्रा० द्वारा पालन किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय मे आरक्षित वन क्षेत्र मे यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से केवल पुराने मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना सम्भव नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु **Ministry of Environment and Forests (MOEF)** को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

दिनेश कुमार चतुर्वेदी
(दिनेश कुमार चतुर्वेदी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।–

1. **मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ।**
2. **वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।**
3. **क्षेत्रीय अधिकारी–पश्चिमी, उ०प्र०, लखनऊ।**